समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 199/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता- स्व0 कुशेश्वर सिंह, सा0- शाहजादपुर, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 633/2687 को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि वे उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 7402342 को अपने पुत्र श्री अजय प्रताप सिंह को प्रदत्त अनु० सं०- 03/2009 (उदाकिशुनगंज थाना) पर वर्ष 2009 में हस्तांतरित कर दिए है एवं अपने नाम से धारित अनुज्ञप्ति को रद्द करवाना चाहते है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह को प्रदत्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 633/2687 को रद्द किया जाता है।

श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपने एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 633/2687 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 633/2687 की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह०/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 51 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 14-02-2014

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज /थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता- स्व0 कुशेश्वर सिंह, सा0- शाहजादपुर, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा